क्लेम प्रकरण कमांक–2796/2024 एवं 2797/24

समक्ष–सदस्य, ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण भोपाल(म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारीः–श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)

Registration No.	2796/2024
Filling No.	MACC-6362/2024
CNR No.	MP0401-034474-2024
Filling Date.	12-09-2024

मूरत सिंह धाकड़ पुत्र प्रेमनारायण धाकड़
आयु लगभग 52 वर्ष, (जाति किरार) स्थाई
निवासी म.नं. 43, वार्ड नं. 03, ग्राम बम्होरी
गोदड़, तहसील व थाना गैरतगंज, जिला
रायसेन, म.प्र. वर्तमान पता खुशीपुरा, चांदबड़
हरसिद्धि केम्पास, भोपाल, (म.प्र.)

................................**आवेदक**

Registration No.	2797/2024
Filling No.	MACC-6364/2024
CNR No.	MP0401-034488-2024
Filling Date.	12-09-2024

भूपेन्द्र धाकड़ पुत्र श्री जयसिंह धाकड़
आयु लगभग 30 वर्ष, जाति किरार

02/03/26

(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)
सदस्य
ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

P.T.O.

<u>क्लेम प्रकरण कमांक–2796 / 2024 एवं 2797 / 24</u>

स्थाई निवासी ग्राम बकेना, थाना व
तहसील राहतगढ़, जिला सागर, म.प्र.
वर्तामन पता म.नं. 58 खुशीपुरा, चांदबड़
हरसिद्धि केम्पस, भोपाल (म.प्र.)

.................................आवेदक

:: <u>विरूद्ध</u> ::

1– सनमान सिंह धाकड़ पुत्र श्री बाबूलाल धाकड़
आयु–44 वर्ष, निवासी म.नं. 383, पार्वती पुरम
बंटी नगर, विदिशा, (म.प्र.)
(कार कमांक एम.पी.–40–जेड.बी.–5284 का चालक व स्वामी)

2– दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
द्वारा मंडल प्रबंधक, मंडल कार्यालय, क.1
ब्लॉक नं. 2, द्वितीय तल, पर्यावास भवन
अरेराहिल्स, भोपाल, (म0प्र0)
(कार कमांक एम.पी.–40–जेड.बी.–5284 की बीमा कंपनी)

.......दोनों क्लेम प्रकरणों के <u>अनावेदकगण</u>

आवेदकगण द्वारा	:–	श्री आशिक मोहम्मद, अधिवक्ता
अनावेदक क. 01	:–	श्री प्रताप भानू सिंह, अधिवक्ता
अनावेदक क. 03	:–	श्री दीपक गौड, अधिवक्ता

Sd/-
02/03/26
(श्रीमती ...)

P.T.O.

:: अधि–निर्णय ::
(दिनांक–02 मार्च, 2026 को पारित)

01– उक्त दोनों क्षतिपूर्ति याचिकाएं एक ही दुर्घटना से संबंधित, होने से उनका निराकरण समेकित रूप से एक ही अधिनिर्णय द्वारा किया जा रहा है। मूल अधिनिर्णय क्षतिपूर्ति याचिका कमांक–2796 / 2024 में पारित किया जा रहा है और उसकी प्रतिलिपि क्षतिपूर्ति याचिका कमांक 2797 / 2024 में संलग्न की जावेगी।

02– आवेदकगण द्वारा धारा 166 मोटर व्हीकल्स एक्ट के अधीन वाहन दुर्घटना दिनांक 10.05.2024 में आहतगण मूरत सिंह एवं भूपेन्द्र को आयी चोटों के परिणामस्वरूप अनावेदकगण के विरूद्ध प्रस्तुत पृथक–पृथक क्षतिपूर्ति याचिका के सम्बंध में यह अधिनिर्णय पारित किया जा रहा है।

03– उपरोक्त क्षतिपूर्ति याचिकाओं प्रकरण कमांक–2796 / 2024, 2797 / 24 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 10.05.2024 को समय रात्रि लगभग 10.30 बजे आवेदक अपने भांजे भूपेन्द्र धाकड़ की मोटरसाईकिल पर पीछे बैठकर सांची से उदयनगर कॉलोनी विदिशा भांजे के रूम पर जा रहा था, आवेदक का भांजा अपनी मोटरसाईकिल को सही दिशा एवं सीमित गति से चलाते हुए जैसे ही ग्राण्ड भेलसा होटल के सामने पहुँचा

02/03/26

P.T.O.

तभी पीछे से आ रही कार कमांक एम.पी.–40–जेड.बी.–5284 के चालक अनावेदक कमांक 1 द्वारा कार को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए उसकी मोटरसाईकिल में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे आवेदक एवं उसका भांजा भूपेन्द्र धाकड़ मोटरसाईकिल सहित रोड पर गिर गये, जिससे आवेदकगण को गंभीर चोटे कारित हुई।

04– क्षतिपूर्ति याचिका कमांक 2796/2024 के आहत मूरत सिंह को दुर्घटना में छाती और पेट में गहरी चोट, दाहिने नौवी एवं दसवी पसली में फेक्चर, दाहिने फेफड़े में खून भरना, लीवर में चोट, दाहिनी किडनी में चोट, पेट के अंदर खून भरना, निमोनिया, सेप्सिक, श्वसन विफलता एवं शरीर के कई जगह अंदरूनी व बाहरी गंभीर चोटें कारित हुईं। आवेदक को घायल अवस्था में अटल बिहारी वाजपेयी गर्वमेंट मेडीकल कॉलेज विदिशा ले जाया गया जहां पर प्राथमिक इलाज के पश्चात् आवेदक को सनसाईन अस्पताल भोपाल ले जाया गया, इसके पश्चात् आवेदक को दिनांक 15.05.2024 को नेशनल अस्तपाल अरेरा कॉलोनी भोपाल में भर्ती किया गया।

05– क्षतिपूर्ति याचिका कमांक 2797/2024 के आहत भूपेन्द्र धाकड़ को दुर्घटना में दोनों हाथों, पैरो, सिर में गंभीर चोटे कारित हुई तथा शरीर में कई जगह अंदरूनी व बाहरी गंभीर चोटे कारित की हुई। आवेदक को ध

Schita
02/03/26
(श्रीमती

P.T.O.

ाटना स्थल से गंभीर घायल अवस्था में अटल बिहारी वाजपेयी गर्वमेंट मेडीकल कॉलेज विदिशा ले जाया गया, जहां पर उसका उपचार किया गया।

06– दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना देहात जिला विदिशा में अपराध कमांक 416/2024 पर दर्ज की गयी। पुलिस द्वारा अनावेदक कमांक 01 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा विवेचना उपरांत अनावेदक कमांक 01 के विरूद्ध धारा 279, 337 एवं 338 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 184 मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

07– क्षतिपूर्ति याचिका कमांक–2796/2024 का आहत मूरत सिंह दुर्घटना के पूर्व हष्ट पुष्ट होकर पूर्णरूप से स्वस्थ्य व्यक्ति था तथा शिवानंद मोटर्स लांबाखेड़ी बायपास भोपाल में मैनेजर के पद पर कार्यरत था, जहां से उसे 45,000/–रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त 2000/–रूपये इंसेटिव प्रति ट्रेक्टर से अधिक आय अर्जित करता था। उक्त आय से वह अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करता था। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाने के कारण आवेदक स्थायी रूप से निःशक्त हो गया है। चोटो के कारण आवेदक चलने फिरने एवं उठने बैठन में पूर्ण रूप से असमर्थ हो गया है, जिस कारण आवेदक व उसके परिवार को आर्थिक

02/03/26
(श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव)

P.T.O.

संकट का सामना करना पड़ रहा है। दुर्घटना के कारण आवेदक की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार आवेदक द्वारा कुल क्षतिपूर्ति राशि रूपए 84,50,000 / – रूपये (चौरासी लाख पचास हजार रूपये) अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक मय 18 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाए जाने का निवेदन किया गया है।

08– क्षतिपूर्ति याचिका कमांक–2797 / 2024 का आहत भूपेन्द्र दुघ टिना के पूर्व हृष्ट पुष्ट होकर पूर्णरूप से स्वस्थ्य व्यक्ति था तथा खेती किसानी का कार्य कर सालाना लगभग 7–8 लाख रूपये से अधिक आय अर्जित करता था, उक्त आय से आवेदक अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करता था एवं भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध करता था। दुर्घटना के कारण आवेदक कोई कार्य नहीं कर पा रहा है तथा वह स्थाई रूप से नि :शक्त हो गया है। चोटो के कारण आवेदक चलने फिरने एवं उठने बैठन में पूर्ण रूप से असमर्थ हो कया है, जिस कारण आवेदक व उसके परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। दुर्घटना के कारण आवेदक की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार आवेदक द्वारा कुल क्षतिपूर्ति राशि रूपए 15,00,000 / – रूपये (पंद्रह लाख पचास हजार रूपये) अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक मय 18 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाए जाने का निवेदन किया गया है।

02/03/26
(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)

P.T.O.

09– अनावेदक कमांक 1 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर याचिका के महत्वपूर्ण तथ्यों को अस्वीकार कर विशेष कथन में बताया है कि अनावेदक कमांक 1 वाहन कमांक एम.पी.–40–जेड.बी.–5284 का रजिस्टर्ड स्वामी होकर वैध लायसेंसधारी है। प्रश्नगत वाहन दि न्यू इंडिया कंपनी लिमिटेड से दिनांक 31.03.2023 से दिनांक 30.03.2026 तक बीमित है। अनावेदक कमांक 1 द्वारा किसी प्रकार की दुर्घटना कारित नहीं की गई है। आवेदक ने मनगढ़ंत कहानी गढ़कर अवैध रूप से अनावेदक कमांक 1 से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु क्षतिपूर्ति याचिका प्रस्तुत की है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। आवेदक एवं उसका साथी दिनांक 10.05.2024 को अत्यधिक शराब के नशे में होने के कारण स्वयं के वाहन से दुर्घटनाग्रस्त हो गए है जिसका उल्लेख अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सायल महाविद्यालय के आपातकालीन कक्ष के पत्र कमांक 6684 / आपा.कक्ष / सी.एम.ओ. / ए.बी.व्ही.जी.एम.सी. दिनांक 10.05.2024 को थाना प्रभारी सिविल लाईन विदिशा को ऑनड्यूटी डॉक्टर मोहित माझी द्वारा भेजा गया है। आवेदक मूरतसिंह किरार की पी.एम.एल.सी. 3611 / 2024 दिनांक 10.05.2024 समय 11.05 में भी आवेदक द्वारा अत्यधिक शराब के नशे में होना लेख किया गया है। दोनों आवेदकगण ने घटनास्थल अलग अलग बताया है। यदि मान्नीय अधिकरण द्वारा यदि क्षतिपूर्ति याचिका स्वीकार की जाती है तो क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का संपूर्ण दायित्व बीमा कंपनी का है। इस प्रकार

02/03/26
(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)
सदस्य
ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

P.T.O.

अनावेदक क्रमाँक–01 द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त क्षतिपूर्ति याचिका सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

10— अनावेदक क्रमाँक–02 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर याचिका के समस्त तथ्यों को चरणवार अस्वीकार करते हुये अतिरिक्त कथन में व्यक्त किया है कि आवेदकगण ने दुर्घटना दिनांक 10.05.2024 को चिकित्सालय में इलाज का पर्चा अथवा एम.एल.सी. अथवा चिकित्सीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जो घटना का होना अथवा न होना दर्शित करता है, जिसके अभाव में आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा याचिका सव्यय निरस्त किए जाने योग्य है। दुर्घटना दिनांक को वाहन चालक के पास वाहन चलाने का का वैध एवं प्रभावी लायसेंस नही था, जो बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हैं। आवेदक ने दुर्घटना की रिपोर्ट विलंब से प्रस्तुत की है तथा विलंब का कोई कारण भी दर्शित नही किया गया है, जिससे दुर्घटना संदेहास्पद हो जाती है। दुर्घटना की सूचना संबंधित थाने द्वारा बीमा कंपनी को उपलब्ध नहीं कराई गई है। आवेदकगण की स्वयं की लापरवाही से दुर्घटना घटित हुई है। इस प्रकार अनावेदक क्रमाँक–02 द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त क्षतिपूर्ति याचिका सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

11— उभय पक्ष के अभिवचन के आधार पर मेरे द्वारा निम्नलिखित

04/03/26

P.T.O.

वाद प्रश्न विरचित किए गए हैं जिनके समक्ष विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किए जा रहे हैं:–

क्षतिपूर्ति याचिका कमांक 2796 / 2024 एवं 2797 / 24 के संबंध में वाद प्रश्न

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1-	क्या दिनांक 10.05.2024 को समय रात्रि के लगभग 10.30 बजे स्थान ग्राण्ड भेलसा के सामने विदिशा में अनावेदक कमांक 1 द्वारा वाहन कार कमांक एम.पी.–40–जेड.बी.–5284 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की ?	प्रमाणित
2-	क्या उक्त दुर्घटना दोनों वाहनों के चालक की योगदायी उपेक्षा का परिणाम है ?	प्रमाणित नहीं
3-	क्या उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप क्लेम प्रकरण कमांक 2796 / 24 के आहत मूरत सिंह को गंभीर उपहति कारित होकर वह स्थाई रूप से निःशक्त हो गया ?	गंभीर उपहति प्रमाणित
4-	क्या उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप क्लेम प्रकरण कमांक 2797 / 24 के आहत भूपेन्द्र धाकड़ को गंभीर उपहति कारित होकर वह स्थाई रूप से निःशक्त हो गई	साधारण उपहति प्रमाणित

02/03/26

(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)
सदस्य
ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

P.T.O.

5-	क्या अनावेदक कमांक 01 द्वारा प्रश्नगत वाहन को वैध व प्रभावी लायसेंस के अभाव में तथा बीमा पॉलिसी की शर्तो के उल्लंघन में चलाया जा रहा था ?	प्रमाणित नहीं
6-	क्या क्लेम प्रकरण कमांक 2796/24 एवं 2797/24 के आवेदकगण, अनावेदकगण से संयुक्ततः तथा पृथकततः क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ? यदि हां तो किससे किस अनुपात में ?	**अधिनिर्णय की कंडिका कमांक 51 एवं 56 के अनुसार**
7-	सहायता एवं वाद व्यय	**अधिनिर्णय की कंडिका कमांक 57 एवं 58 के अनुसार**

:: विवेचना एवं निष्कर्ष ::

वाद प्रश्न कमांक 1 एवं 2

12– तथ्य एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उक्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

Sd/- 02/03/26
(श्रीमती [illegible])

P.T.O.

13– आहत मूरत सिंह (आ.सा.–01) ने अधिकरण के समक्ष इस आशय का कथन किया है कि वही दिनांक 10.05.2024 को रात्रि करीब दस साढ़े दस बजे सांची से विदिशा अपने भांजे भूपेन्द्र के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। जब वह ग्राण्ड भेलसा होटल के पास पहुंचे तभी पीछे से कार कमांक एम.पी.–40–जेड.बी.–5284 के चालक ने तेजी व लापरवाहीपूर्वक कार को चलकार उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह और उसका भांजा भूपेन्द्र गिर पड़े। साक्षी भूपेन्द्र धाकड़ (आ.सा.–1) ने भी उक्त आशय का कथन किया है।

14– आहत मूरत सिंह (आ.सा.–01) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 18 में बताया है कि वह बहोश था उसने दुर्घटना कारित वाहन का नंबर नही बताया था। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत प्र.पी.–3 की देहाती नालसी नहीं कराई गई थी। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्र.पी.–3 में दुर्घटना कारित करने वाली कार के नंबर का उल्लेख नही है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 22 में इस सुझाव को अस्वीकार किया है उसके भांजे भूपेन्द्र धाकड़ तथा उसके नशे में होने के कारण उसे दुर्घटनाग्रस्त होने से चोटे आई है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि दुर्घटना कारित कार का नंबर दुर्घटना के समय नहीं देख पाया था। उसे कार का नंबर गुलाब सिंह किरार ने बताया

(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)
सदस्य
अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

P.T.O.

था, जो दुर्घटना के समय तुरंत आ गए थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके भांजे ने अचानक ब्रेक लगा दिया था जिससे वह दुघ टिनाग्रस्त हो गए थे।

15– साक्षी / आहत भूपेन्द्र धाकड़ (आ.सा.–2) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि प्र.पी.–3 की देहाती नालसी में कार के नंबर का उल्लेख नहीं है। साक्षी ने इसी कंडिका में यह भी स्वीकार किया है कि उसने कार का नंबर नहीं देखा था इसलिए कार का नंबर नहीं बताया था। साक्षी कंडिका 7 में बताया है कि उसके मामाजी के समधी गुलाब सिंह किरार घटना स्थल पर दुर्घटना के 10–15 मिनिट बाद आ गए थे। साक्षी ने कंडिका 8 में इस सुझाव से इंकार किया है कि शराब के नशे में होने के कारण वह स्वयं की लापरवाही से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था।

16– आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के समर्थन में आहत मूरत सिंह (आ.सा.–01) द्वारा दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेज प्रथम सूचना रिपोर्ट पी–01, अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी–02, देहाती नालसी प्रदर्श पी–03, आपातकालीन कक्ष पर्चा प्रदर्श पी–04, अपराध विवरण फार्म प्रदर्श पी–05, भूपेन्द्र सिंह एवं गुलाब सिंह के कथन तथा उसके कथन प्रदर्श पी–06 लगायत 08, सम्पति जब्ती पत्रक प्रदर्श पी–09, धारा–41 का सूचना पत्र प्रदर्श पी–10, वाहन का निरीक्षक रिपोर्ट प्रदर्श पी–11, एम.आर.डी. चैक

02/03/26
(श्रीमती सुनिता ...)

P.T.O.

लिस्ट प्रदर्श पी–12, शासकीय अस्पताल के पर्चे प्रदर्श पी–13 एवं 14, फाइनल आर.एस.ओ. रिपोर्ट प्रदर्श पी–15, उसकी डिस्चार्ज समरी प्रदर्श पी–16, उसकी एम.एल.सी. प्रदर्श पी–17, उसके भांजे भूपेन्द्र सिंह उसकी एम.एल.सी. प्रदर्श पी–18, डॉ. द्वारा उसे प्रदत्त पी.डी.सी. प्रदर्श पी–19, सनसाईन अस्तपाल का डिस्चार्ज समरी प्र.पी.–20 एवं 21, उसके इलाज के पर्चे प्र.पी.–22 लगायत 57, उसकी जांच से संबंधित पर्चे प्र.पी.–58 लगायत 75, दांत लगवाये जाने संबंधी बिल प्र.पी–76 उसका ज्वानिंग लेटर प्र.पी.–77 प्रस्तुत किए गए हैं।

17– उक्त दस्तावेजों से भी आवेदकगण की साक्ष्य का समर्थन होता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के खण्डन में अनावेदकगण की ओर से कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजों पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। अनावेदकगण द्वारा अपने समर्थन में ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे यह माना जा सके कि अनावेदकगण के उक्त प्रश्नगत वाहन से दुर्घटना दिनांक को कोई घटना कारित नहीं की गई।

18– आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक प्रकरण के सम्पत्ति जब्ती पत्रक की सत्यापित प्रति प्रदर्श पी–9 के अनुसार अनावेदक

Sd/- 02/03/26
(श्रीमती ... श्रीवास्तव)

कमांक–01 सनमान सिंह धाकड़ से प्रश्नगत वाहन कमांक एम.पी. –40–जेडबी–5284 को सुसंगत दस्तावेज वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं वाहन का बीमा सहित जब्त किया गया है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी–2 के अनुसार प्रश्नगत वाहन के चालक अनावेदक कमांक–01 के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता एवं धारा–184 मोटरव्हीकल एक्ट के तहत अभियोग पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है कि अनावेदक कमांक 01 के वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं की गई और उसके विरूद्ध झूठा मामला बनाया गया है।

19— बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक वाहन चालक द्वारा लोकमार्ग पर शराब का सेवन कर मोटरसाइकिल का संचालन किया जा रहा था जिस कारण दुर्घटना आवेदकगण की लापरवाही के परिणामस्वरूप घटित हुई है। प्र.पी.–04 के चिकित्सकीय पर्चे में ए से ए भाग पर '' सड़क दुर्घटना शराब के नशे में '' लेख किया गया है। तत्संबंध में न्यू इंण्डिया इंश्योरेंस कंपनी, भोपाल में सहायक ग्रेड–3 के पद पर पदस्थ सैय्यद इनाम उल्हक (अना0सा0–01) के कथनानुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्र.पी.–4 में ए से ए भाग पर सड़क दुर्घटना शराब के नशे में होने का उल्लेख है तथा प्रदर्श पी0–17 एवं प्रदर्श पी0–18 में भी ए से ए

Sd/-
02/03/26
(श्रीमती [illegible])
[illegible]
ग्यारहवें मोटर [illegible] दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

P.T.O.

भाग पर ''एल्कोहल इन्टेक'' लिखा होना अंकित है। उक्त दस्तावेज में कही भी दुर्घटन वाहन क्रमांक एम.पी.–40–जेड.बी.–5284 से होना दर्शित नहीं है। मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत नशे की हालत में शराब पीकर गाड़ी चलाना वर्जित है। इसलिए बीमा कंपनी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी नहीं है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 में उसे इस बात की जानकारी नहीं होना बताया है कि घटना के समय अनावेदक क्रमांक 1 नशे में था अथवा नहीं। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्र.पी.–4 में ए से ए भाग पर अथवा अन्य स्थान पर कहीं भी एल्कोहल की मात्रा का उल्लेख स्पष्ट नहीं है तथा प्र.पी.–17 एवं 18 में भी एल्कोहल की मात्रा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

20– उक्त दुर्घटना आवेदक की लापरवाही अथवा योगदायी उपेक्षा से घटित होने के संबंध में यद्यपि प्र.पी.–04 के दस्तावेज पर '' सड़क दुघ टना शराब के नशे में '' लेख किया गया है, किंतु अनावेदकगण द्वारा अधिकरण के समक्ष किसी चक्षुदर्शी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं। प्रश्नगत वाहन के चालक अनावेदक क्रमांक 01 ने स्वयं भी अधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर इस आशय का कोई कथन नहीं किया है कि दुर्घटना उसकी लापरवाही से घटित नहीं हुयी बल्कि आवेदक की लापरवाही से घ टित हुयी है। बीमा कंपनी की ओर से प्र.पी.–04 के दस्तावेज को लिखने

02/03/26
(श्रीमती सुचित्रा श्रीवास्तव)

P.T.O.

वाले चिकित्सक की साक्ष्य भी अधिकरण के समक्ष नहीं करायी गयी है तथा दुर्घटना के समय आवेदक के खून में एल्कोहल की कितनी मात्रा थी, इस संबंध में भी कोई परीक्षण रिपोर्ट अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है जिससे आवेदक का शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाया जाना प्रमाणित नहीं होता है। अभिलेख पर अनावेदकगण की ओर से उक्त संबंध में किसी प्रकार की साक्ष्य नहीं होने से अनावेदकगण यह प्रमाणित नही कर सके है कि दुर्घटना आवेदक की योगदायी उपेक्षा का परिणाम थी।

21— न्याय दृष्टान्त **शिवराम विरूद्ध मोहम्मद शरीफ 2007(3) एम.पी. वीकली नोट्स शार्ट नोट 51** में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि वाहन चालक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दुर्घटना वाहन चालक की लापरवाही के कारण घटित हुई। यह उल्लेखनीय है कि दावा प्रकरण में सिविल प्रकरण की भांति जो सबूत का भार होता है वह केवल संभावनाओं तक सीमित रहता है। आवेदकगण को आपराधिक प्रकरण की तरह युक्ति–युक्त संदेह से परे मामला प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। सड़क दुर्घटना के मामलों में आपराधिक मामले की तरह प्रमाण का कठोर सिद्धांत लागू नहीं होता है। इस संबंध में मान्नीय उच्चतम न्यायालय का न्याय दृष्टान्त **विमला देवी विरूद्ध**

02/03/26

P.T.O.

मध्यप्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ए.आई.आर. 2009 (सुप्रीम कोर्ट) 2819 अवलोकनीय है।

22– अतः उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य से यह प्रमाणित पाया जाता है कि दिनांक 10.05.2024 को समय रात्रि के लगभग 10.30 बजे स्थान ग्राण्ड भेलसा के सामने विदिशा में अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा वाहन कार क्रमांक एम.पी.–40–जेड.बी.–5284 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की किंतु यह प्रमाणित नही पाया जाता है कि उक्त दुर्घटना योगदायी उपेक्षा का परिणाम थी। तदानुसार **वाद प्रश्न क्रमांक 1 ''प्रमाणित''** के रूप में तथा वाद प्रश्न क्रमांक 2 **''प्रमाणित नहीं''** के रूप में निराकृत किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक 03

23– आहत मूरत सिंह (आ.सा.–1) के कथनानुसार दुर्घटना में उसके शरीर के सीधे हाथ के तरफ की 8 पसलिया और उल्टे हाथ की तरफ से 4 पसलियां टूट गई थी तथा उसके उपर के जबड़े के सीधे हाथ की तरफ का दांत तथा नीचे के जबड़े का उल्टे हाथ की तरफ के दो दांत टूट गए थे। उसके सीधे हाथ की कोहनी चोटिल हो गई थी। उसके सीधे घ ुटने और उल्टे पैर के घुटनों में गंभीर चोटे आई थी। घटना के उपरांत उसे शासकीय अस्पताल विदिशा में भर्ती किया गया था। उसके उपरांत उसे सनसाइन अस्पताल में भर्ती किया गया था। आहत की हालत बिगड़ने पर

02/03/26
(श्रीमती ... श्रीवास्तव)

P.T.O.

उसे नेशनल अस्तपाल ले जाया गया था। उक्त अस्तपाल में वह वेंटीलेटर पर रखा गया और उसके पेट में नली डालकर उसका उपचार किया गया। उसकी पेशाब बंद होने के कारण उसे दिनांक 24.07.2024 को सनसाईन अस्पताल में पुनः भर्ती किया गया और दिनांक 28.07.2024 को यूरिन पाईप का ऑपरेशन किया गया। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 13 में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा दांतो के इलाज के संबंध में डॉ. का पर्चा प्रस्तुत नहीं किया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि दुर्घटना में उसके दांत नहीं टूटे थे इसलिए उसने दांतो के इलाज के संबंध में पर्चे एवं बिल प्रस्तुत नहीं किए है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए झूठे बिल, पर्चे तथा अपंगता प्रमाण पत्र बनवाकर प्रस्तुत किया है।

24– उक्त साक्षी ने अपने कथन के समर्थन में शासकीय अस्पताल के पर्चे प्रदर्श पी–13 एवं 14, फाइनल आर.एस.ओ. रिपोर्ट प्रदर्श पी–15, उसकी डिस्चार्ज समरी प्रदर्श पी–16, उसकी एम.एल.सी. प्रदर्श पी–17, डॉ. द्वारा उसे प्रदत्त पी.डी.सी. प्रदर्श पी–19, सनसाईन अस्तपाल का डिस्चार्ज समरी प्र.पी.–20 एवं 21, उसके इलाज के पर्चे प्र.पी.–22 लगायत 57, उसकी जांच से संबंधित पर्चे प्र.पी.–58 लगायत 75 एवं दांत लगवाये जाने संबंधी बिल प्र.पी–76 प्रस्तुत किए गए हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण

Schita
07/03/26
(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)

P.T.O.

की कंणिका 21 में बताया है कि वह वर्तमान में स्वयं खाने पीने का काम, घूमने–फिरने का काम थोड़ा बहुत कर लेता है। साक्षी ने स्वतः कथन किया है कि दुर्घटना के बाद ज्यादा घूम–फिर नहीं पाता है।.

25– सिंगरौली अस्पताल में अर्थोपेडिक विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ तथा तत्समय गांधी नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अर्थोपेडिक के पद पर पदस्थ डॉक्टर पुष्पराज सिंह ठाकुर (आ.सा.–4) ने अपने कथन में बताया है कि उसने दिनांक 25.06.2025 को प्र.पी.–19 का दस्तावेज मूरत सिंह पिता प्रेमनारायण धाकड़ के नाम से जारी किया था। प्र.पी.–19 के प्रमाण पत्र में आहत को 40 प्रतिशत निःशक्तता होना लेख किया था। प्र.पी.–19 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्र.पी.–19 के प्रमाण पत्र में आहत का छायाचित्र चस्पा नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने आहत को आई अपंगता के संबंध में गणना किए जाने बाबत् गणना पत्रक प्र.पी.–19 के साथ संलग्न नहीं किया है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने अपंगता का प्रतिशत अंग विशेष के मान से बताया है पूरे शरीर के मान से नहीं। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि भोपाल जिले में अपंगता प्रमाण पत्र मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। साक्षी ने स्वतः कथन किया है कि वह भी मेडीकल बोर्ड का एक

02/03/26
(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)

P.T.O.

सदस्य था एवं अर्थोपेडिक विशेषज्ञ की हैसियत से उसे भी प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार था। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके पास इस प्रकार प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार पत्र नहीं है। उसने यह प्रमाण पत्र आहत को उसे प्रायवेट रूप से दिखाए जाने पर दिया था। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आहत के हाथ पैर में अस्थिभंग नही था। साक्षी ने स्वतः कथन किया है कि आहत की स्पाईनल कार्ड में चोट आने के कारण उसका नीचे का अंग प्रभावित था।

26– आवेदक की ओर से प्रस्तुत निःशक्ततता प्रमाण पत्र प्र.पी.–19 के अनुसार आहत/आवेदक को चौथी, पांचवी, छठी, सातवी, आठवी, नौवी, एवं दसवी पसली में फ्रेक्चर होना पाया गया है। डिस्चार्ज समरी प्र.पी. –20 के अनुसार आहत/आवेदक को छाती व पेट में गंभीर चोट, फेफड़े में चोट एवं बाई तरफ की कई पसलियों में फ्रेक्चर होना प्रकट है। डिस्चार्ज समरी भर्ती दिनांक 24.07.2024 सर्जरी 28.07.2024 एवं डिस्चार्ज 29.07.2024 प्र.पी.–19 के अनुसार आहत के मूत्रमार्ग में संकुचन होना पाया गया है। फाईनल आर.एस.ओ. रिपोर्ट प्र.पी.–15 के अनुसार आहत/आवेदक को लीवर(यकृत) में चोट, दांई और चाथी से दसवी पसली में फ्रेक्चर, सातवी पसली में फ्रेक्चर, बाई ओर फेफड़े में चोट, प्लूरल इफ्यूजन (छाती में पानी भरना) कुंद चोट से पेट में आंतरिक रक्तस्त्राव एवं हेमोपेरिटोनियम (पेट के

02/03/26
(श्रीमती ...)
सदस्य
ग्यारहवें मोटर ... दावा अधिकरण

P.T.O.

अंदर खून जमा होना) होना पाया गया है। उक्त दस्तावेज के खण्डन के अनावेदक की ओर से कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आवेदक के उपचार के दस्तावेजों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता तथा यह प्रकट होता है कि दुर्घटना में आवेदक को पसलियों में अस्थिभंग होकर गंभीर उपहतियां कारित हुई।

27— मोटर दुर्घटना में कारित उपहति के परिणामस्वरूप होने वाली स्थायी निःशक्तता के संबंध में प्रस्तुत दावा याचिका में स्थायी निःशक्तता को प्रमाणित करने संबंधी सिद्वांतों हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायदृष्टांत डी. सम्पत विरूद्ध यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ए.आई.आर. 2012 एस.सी. 544 अवलोकनीय है जिसके अनुसार—

"अधिकरण के लिये यह आवश्यक नहीं है कि आहत द्वारा प्रस्तुत किये गये स्थायी अयोग्यता के प्रमाणपत्र पर आखं मूंदकर विश्वास करें। यह अधिकरण का विवेकाधिकार है कि वह ऐसे प्रमाणपत्र पूरी तरह स्वीकार कर सकती है या पूरी तरह अस्वीकार कर सकती है या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है लेकिन अधिकरणों को ऐसा करने के कारण अभिलिखित करना चाहिये"।

28— माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **2004 (2) दु.मु.**

02/03/26

(श्रीमती सुचित्रा ...)
P.T.O.

ग्यारहवें मोटर ... भोपाल (म.प्र.)

प्र.510 (म0प्र0) कमलकुमार जैन विरूद्ध ताजुद्दीन आदि में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्येक अस्थिभंग को किसी भी अंग या अस्थिभंग का अलग होना नहीं कहा जा सकता जब तक कि चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध न कर दिया जाए कि हड्डी के जुड़ने के उपरान्त अशक्तता उत्पन्न हुई या गलत जुड़ने के कारण आहत स्थाई या आंशिक अशक्तता से ग्रसित हो गया।

29— दुर्घटना में आवेदक / आहत को स्थाई निःशक्तता कारित होने का प्रश्न है तो उक्त संबंध में आवेदक द्वारा अपनी साक्ष्य में दुर्घटना में चोटो के कारण चलने फिरने एव पूर्व की भांति कार्य करने में असमर्थ होना बताया है। आवेदक की ओर से चिकित्सक डॉ. पुष्पराज सिंह ठाकुर की साक्ष्य कराई गई है उक्त चिकित्सक के कथनानुसार आवेदक को 40 प्रतिशत निःशक्तता होना बताया है तथा अपने कथन में समर्थन में चिकित्सक द्वारा प्र.पी.—19 का प्रमाण पत्र भी दिया गया है, किंतु आवेदक द्वारा मेडीकल बोर्ड होते हुए भी निःशक्तता प्रमाण मेडीकल बोर्ड से प्राप्त नहीं किया गया है। चिकित्सक डॉ. पुष्पराज सिंह ठाकुर द्वारा आहत का उपचार किया जाना प्रकट नहीं है तथा उनके द्वारा जारी किए गए नि :शक्तता प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से यह लेख नहीं किया गया है कि आवेदक को हड्डी के जुड़ने के उपरान्त अशक्तता उत्पन्न हुई या गलत

02/03/26
(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)
सदस्य
चतुर्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
(म.प्र.)

P.T.O.

जुड़ने के कारण आहत स्थाई या आंशिक अशक्तता से ग्रसित हो गया। प्रमाण पत्र प्र.पी.–19 से यह भी प्रकट नहीं है कि आवेदक को दुर्घटना में कारित उपहतियों के परिणामस्वरूप विशिष्ट रूप से किस प्रकार की नि:शक्तता कारित हुई।

30— उपरोक्त विवेचना से आहत मूरत सिंह दुर्घटना में पसलियों में अस्थि भंग होना प्रमाणित हुआ है, किंतु उक्त उपहतियों के परिणामस्वरूप आहत को स्थायी निःशक्तता हुई इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि आहत को दुर्घटना में आहत को स्थायी नि:शक्तता कारित हुई। दुर्घटना में आवेदक/आहत मूरत सिंह को गंभीर उपहति कारित होने के संबंध में उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। तदानुसार वादप्रश्न क्रमांक 03 का निराकरण **"गंभीर उपहति कारित"** के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक 04

31— आहत भूपेन्द्र धाकड़ (आ.सा.–2) के कथनानुसार दुर्घटना में उसके कमर, उल्टे पैर तथा शरीर के अन्य भागो में गंभीर चोट कारित हुई थी। साक्षी ने अपने कथन के समर्थन में एम.एल.सी. प्र.पी.–18 प्रस्तुत की गई है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने

02/03/26
(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)

P.T.O.

अपने इलाज के बिल एवं पर्चे पेश नहीं किए है। साक्षी ने स्वतः कथन किया है कि गुम हो गए है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि दुर्घटना के समय उसे कोई चोट नहीं आई थी।

32– दुर्घटना में आवेदक/आहत को स्थाई निःशक्तता कारित होने का प्रश्न है तब आहत भूपेन्द्र धाकड़ द्वारा अपनी एम.एल.सी. रिपोर्ट प्र.पी. –18 प्रस्तुत की गई है, जिससे आहत को दाहिने पैर में सूजन, दाहिने पैर में तीन गुणा तीन सेमी. का घाव एवं बांए पैर में दो गुणा दो सेमी. का घाव होना प्रकट हुआ है, किंतु उक्त उपहति के परिणामस्वरूप स्थायी निःशक्तता कारित होने के संबंध में आहत द्वारा किसी चिकित्सक की साक्ष्य नहीं करायी गयी है, जिससे यह प्रमाणित हो सके दुर्घटना में आहतगण को दुर्घटना में स्थायी निःशक्तता कारित हुई। दुर्घटना में आवेदक/आहत भूपेन्द्र धाकड़ को उपहति कारित होने के संबंध में उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। तदानुसार वादप्रश्न कमांक 04 का निराकरण **"साधारण उपहति कारित"** के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक 5

33– उक्त वाद प्रश्न को प्रमाणित करने का भार अनावेदक कमांक–02 बीमा कम्पनी पर था। उक्त सम्बंध में प्रकरण में प्रस्तुत दाण्डिक

02/03/26

P.T.O.

प्रकरण के सम्पत्ति जब्ती पत्रक प्रदर्श पी–9 के अनुसार पुलिस द्वारा अनावेदक कमांक 01 सनमान सिंह धाकड़ से दुर्घटनाकारी प्रश्नगत् वाहन एम.पी.–40–जेड़बी.–5284 सहित सुसंगत दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है।

34– आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रश्नगत वाहन रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी प्रस्तुत की गई है जिनसे दर्शित है कि अनावेदक कमांक 01 वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है तथा वाहन की पॉलिसी अनुसार प्रश्नगत वाहन दिनांक 31.03.2023 से 30.03.2026 तक बीमित होना दर्शित है। आवेदक की ओर से वाहन चालक के ड्रायविंग लायसेंस की फोटो प्रति भी प्रस्तुत की गई है, जिससे दर्शित है कि घटना दिनांक को वाहन चालक के पास वाहन चलाने की वैध अनुज्ञप्ति थी। अभियोग पत्र में भी उक्त दस्तावेजों के उल्लंघन में घटना दिनांक को वाहन उपयोग किये जाने संबंधी कोई धारा भी अनावेदक कमांक 1 पर अधिरोपित होना प्रकट नहीं है। अनावेदक कमांक 2 बीमा कंपनी की ओर से भी ऐसी कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे दुर्घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन बीमा पॉलिसी की किसी शर्त के उल्लंघन में चलाया जा रहा था।

35 दुर्घटना दिनांक 10.05.2024 की है। अतः स्पष्ट है कि दुर्घटना के समय अनावेदक कमांक–01 द्वारा वैध एवं प्रभावशील ड्राइविंग लाइसेंस

02/03/26

P.T.O.

(श्रीमती सुनिता श्रीवास्तव)

ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा

के साथ ही उक्त वाहन चलाया जा रहा था। इस प्रकार अनावेदक कमांक 02 यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अनावेदक कमांक–01 द्वारा प्रश्नगत् वाहन को बिना वैध व प्रभावी लाइसेंस तथा बीमा पॉलिसी की शर्तो के उल्लंघन में चलाया जा रहा था। अतः वाद प्रश्न कमांक 5 का निराकरण **'प्रमाणित नहीं'** के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक 06

क्षतिपूर्ति याचिका कमांक 2796/24 के संबंध में

36– क्षतिपूर्ति राशि तय करते समय आवेदक की आय अर्जन क्षमता में कमी, इलाज में हुआ व्यय, शारीरिक पीड़ा व मानसिक वेदना, पोष्टिक आहार हेतु व्यय आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखना है।

37– आवेदक/आहत मूरत सिंह (आ0सा0–01) ने अपनी याचिका में बताया है कि दुर्घटना के पूर्व वह शिवानंद मोटर्स लांबाखेड़ी बायपास भोपाल में मैनेजर के पद पर कार्यरत् था जिससे उसे 45,000/–रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त 2000/–रूपये प्रति ट्रेक्टर इंसेटिव प्राप्त करता था। अपने कथन में समर्थन में आवेदक द्वारा शिवानंद मोटर्स द्वारा जारी ज्वाईनिंग लेटर प्र.पी.–77 प्रस्तुत किया गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्र.पी.–77 पर

02/03/26

P.T.O.

उसके हस्ताक्षर नहीं है तथा उसके नाम के आगे उसके पिताजी का नाम तथा पता अंकित नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि प्र.पी.–77 पर मालिक के हस्ताक्षर नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब कोई दुकान खोली जाती है तो उसका पंजीयन नंबर तथा पंजीयन प्रमाण पत्र होता है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्र.पी.–77 पर रिफरेंश नंबर का उल्लेख निरंक है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि नगद वेतन प्राप्त होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने उसकी शिक्षा से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए ह। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा ज्वाईन किए जाने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा कब से कब तक कार्य किया गया है इस संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। साक्षी ने स्वतः कथन किया है कि शिवानंद मोटर्स में 19.04.2022 से दुर्घटना दिनांक तक कार्यरत रहा है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने शिवानंद मोटर पर कभी कार्य नहीं किया है।

38– शिवानंद मोटर्स के स्वामी आनंद पाण्डेय (आ.सा.–3) के कथनानुसार मूरत सिंह उसके शोरूम में मैनेजर के पद पदस्थ थे। उसने

Sd/- 02/03/26
(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)
सदस्य
ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

P.T.O.

दिनांक 19.04.2022 को मूरतसिंह को ज्वाईनिंग लेटर प्र.पी.–77 दिया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है एवं उसके शोरूम की सील लगी है। अप्रैल 2022 में उसने मूरत सिंह को अपने शोरूम में मैनेजर के पद पर रखा था तथा वह मूरत सिंह 45,000 / –रूपये प्रतिमाह वेतन देता था। साथ ही 2000 / –रूपये प्रति ट्रेक्टर इन्सेंटिव के तौर पर देता था। मूरत सिंह पिछले वर्ष मई से अभी तक दुर्घटना उपरांत कार्य करने की स्थिति में नहीं है।

39– उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि शोरूम चलाने के लिए कंपनी की एल.ओ.आई. जी.एस.टी. गुमास्ता तथा ट्रेड सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह उक्त में से कोई दस्तावेज अपने साथ नहीं लाया है और नही प्रकरण में प्रस्तुत किया है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके यहां कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्य के संबंध में रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया है। साक्षी ने स्वतः कथन किया है कि सेल्समैन आते जाते रहते है इसलिए अपना रजिस्टर मेन्टेन नहीं करते है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा कर्मचारियों का वेतन चैक के माध्यम से अथवा अकाउंट के माध्यम से नहीं दिया जाता नगद भुगतान किया जाता है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह शोरूम का आय–व्यय पत्रक अपने साथ

02/03/26

(श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव)
सदस्य,
ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

P.T.O.

नहीं लाया है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह मूरत सिंह के शोरूम में ज्वाईनिंग तथा कार्य करने के संबंध में कोई दस्तावेज रिकार्ड साथ नहीं लाया है। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि वह मूरत सिंह को वेतन देते तथा इन्सेंटिव देने के संबंध में कोई दस्तावेज साथ लेकर नहीं आया है। साक्षी ने कंडिका 16 में बताया है कि वह मूरत सिंह की शोरूम में उपस्थिति के तथा कार्य करने के संबंध में कोई रिकार्ड साथ लेकर नहीं आया है। साक्षी ने स्वतः कथन किया है कि सेल्समेन का कोई रिकार्ड मेंनटेन नहीं होता है क्योंकि सेल्समेन फील्ड पर कार्यरत् रहते हैं।

40– आवेदक/आहत द्वारा यद्यपि अभिलेख उसका ज्वाईनिंग लेटर प्र.पी.–77 प्रस्तुत किया है तथा शिवानंद मोटर्स के के मालिक के कथन कराए गए है, किंतु दुर्घटना के समय नियमित रूप से शिवानंद मोटर्स से आय अर्जित करने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है। इस प्रकार अभिलेख पर आवेदक मूरत सिंह धाकड़ के शिवानंद मोटर्स में नियोजित होकर आय अर्जित करने के संबंध में किसी प्रकार का विश्वनीय दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने से आवेदक की आय 45,000/–रूपये मासिक होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, किंतु उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उसके एक कुशल मजदूर होने की उपधारणा अवश्य की जा सकती है। अतः आहत की आय का आंकलन उक्त तथ्यों के आधार

02/03/26
(श्रीमती

P.T.O.

पर कुशल श्रमिक की आय को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना उचित प्रतीत होता है।

41– यह दुर्घटना वर्ष 2024 की है। अतः मृतक की आय का आंकलन उक्त तथ्यों के आधार पर कुशल श्रमिक की आय को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना उचित होता है। न्यायदृष्टांत **सपना एवं अन्य विरूद्ध मांगीलाल एवं अन्य एम.सी.ए. नं. 5274/2019 रिपोर्टेड इन 2021 ए.सी.जे.** में मान्नीय उच्च न्यायालय का अभिमत है कि काल्पनिक आय की अवधारणा हेतु श्रमिक की मृत्यु के मामले में अधिकरण को तत्समय अर्थात् दुर्घटना दिनांक को सम्बंधित जिले के श्रम आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र/अनुसूची में दर्शाये गये दैनिक वेतन को विचार में लिया जाना चाहिए। घटना दिनांक 10.05.2024 की है। अतः उक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल (म.प्र.) के आदेश क. 968/रा. वित्त–02/2024 भोपाल दिनांक 23/10/2024 प्रभावी दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक के परिप्रेक्ष्य में मृतक के कुशल श्रमिक होने से मृतक की मासिक आय **12,410/–** रूपये प्रतिमाह अर्थात वार्षिक आय **1,48,920/–(एक लाख अड़तालीस हजार नौ सौ बीस रूपये)** निर्धारित की जाती है।

42– आवेदक की ओर से प्रस्तुत उसके इलाज से संबंधित

Schital
02/03/26

P.T.O.

चिकित्सकीय दस्तावेज प्रदर्श पी–13 एवं 14, फाइनल आर.एस.ओ. रिपोर्ट प्रदर्श पी–15, उसकी डिस्चार्ज समरी प्रदर्श पी–16, उसकी एम.एल.सी. प्रदर्श पी–17, डॉ. द्वारा उसे प्रदत्त पी.डी.सी. प्रदर्श पी–19, सनसाईन अस्तपाल का डिस्चार्ज समरी प्र.पी.–20 एवं 21, उसके इलाज के पर्चे प्र.पी.–22 लगायत 57, उसकी जांच से संबंधित पर्चे प्र.पी.–58 लगायत 75 एवं दांत लगवाये जाने संबंधी बिल प्र.पी–76 प्रस्तुत किये गये हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अखण्डित रहे हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि आवेदक को आई चोटों के कारण निश्चित ही आवेदक लगभग एक वर्ष तक अपना सामान्य कामकाज एवं किसी भी प्रकार का परिश्रम का कार्य करने में पूर्णतः असमर्थ रहा होगा। अतः आवेदक को आय की हानि के रूप में **12,410** / –रूपये प्रतिमाह की दर से **एक वर्ष** की आय की हानि **1,48,920 / –(एक लाख अड़तालीस हजार नौ सौ बीस रूपये)** दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

43– उपरोक्त संपूर्ण विवेचना से आहत को सात पसलियों में अस्थिभंग एवं अन्य उपहतियों होना पाया गया है। अतः प्रत्येक अस्थि भंग हेतु 18000 गुणा 7 **कुल 1,26,000 / –रूपये** एवं आहत को आई अन्य उपहतियां के लिए **10,000 / –रूपये** इस प्रकार आवेदक **कुल** 1,36,000/- ~~**1,37,000**~~ **/ –रूपये** प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश दिनांक 06-05-26 के पालन में संशोधन समाविष्ट
06/05/26
(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)
सदस्य
ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

02/03/26
(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)
सदस्य
ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

P.T.O.

44– आवेदक की ओर से क्लेम प्रकरण के साथ उपचार से संबंधित दस्तावेज प्रदर्श पी–13 एवं 14, फाइनल आर.एस.ओ. रिपोर्ट प्रदर्श पी–15, उसकी डिस्चार्ज समरी प्रदर्श पी–16, उसकी एम.एल.सी. प्रदर्श पी–17, डॉ. द्वारा उसे प्रदत्त पी.डी.सी. प्रदर्श पी–19, सनसाईन अस्तपाल का डिस्चार्ज समरी प्र.पी.–20 एवं 21, उसके इलाज के पर्चे प्र.पी.–22 लगायत 57, उसकी जांच से संबंधित पर्चे प्र.पी.–58 लगायत 75 एवं दांत लगवाये जाने संबंधी बिल प्र.पी–76 प्रस्तुत किये हैं।

45– न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी, भोपाल में सहायक ग्रेड–3 के पद पर पदस्थ सैय्यद इनाम उल्हक (अना.सा.–1) ने बताया है कि बीमा कंपनी द्वारा दुर्घटना के संबंध में अन्वेषण कराया गया तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत इलाज के बिल एवं पर्चों की जाचं कराई गई थी। अमित कुमार श्रीवास्तव अन्वेषण अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट प्र.डी.–3 है, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। प्र.डी.–4 की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दवाईयों के बिल प्र.पी.–39, 40 अपूर्ण है तथा लेजर का असल बिल नहीं है। प्र.पी.–41 एवं 46 के असल बिल नहीं है जिस कारण सत्यापन किए जाने से इंकार किया गया है। प्र.पी.–48 के ए से ए भाग पर सी.एम. सहायता से 1,00,000/–का भुगतान किए जाने का उल्लेख है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि अन्वेषणकर्ता ने समुचित रूप से बिलों की

Sd/-
02/03/26

P.T.O.

जाचं नहीं की। साक्षी ने इस सुझाव से इकार किया है कि अन्वेषणकर्ता प्र.पी.–39 एवं 40 की मांग संबंधित व्यक्ति से करता तो संबंधित व्यक्ति उक्त बिल उपलब्ध करवा देता।

46— अनवेषक प्रदीप सिंगरोले (अना.सा.–2) के कथनानुसार उसने बिलो की जांच कर रिपोर्ट प्र.पी.–4 दी थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जांच में उसने पाया कि मूरत सिंह द्वारा प्रस्तुत बिल प्र.पी.–48 नेशनल अस्पताल के मूल बिल में 1 लाख रूपये की राशि ए से ए भागपर मुख्यमंत्री सहायता से भुगतान की गई है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्र.पी.–39, 40 तथा 41 लगायत 46 के संबंध में जांच के दौरान मेडीकल, इंजार्च द्वारा दस्तावेज अपूर्ण होने तथा मेडीकल के मूल बिल न होने से सत्यापित किए जाने से इंकार किया गया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्र.डी.–4 के निष्कर्ष के द्वितीय चरण में जब उसे संबंधित सनसाईन अस्पताल के प्रबंधक ने उसे मूल बिलो के कुल बिलों का सत्यापन नहीं कराया तब उसने उक्त अस्तपाल के प्रबंधक को इस संबंध में कोई विधिक सूचना पत्र नहीं दिया और घायल मूरत सिह को उसके साथ चलकर बिलो के सत्यापन बाबत् कभी नहीं कहा गया।

47— आवेदक की ओर से इलाज के बिल प्र.पी.–22 लगायत 36, प्र.पी.–38 लगायत 57 एवं प्र.पी.–76 प्रस्तुत किये हैं। दस्तावेज प्र.पी.–39 एवं

Sd/-
02/03/26

P.T.O.

(श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव)
सदस्य
ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

40 नेशनल मेडीकोज का बिल के आधार पर सेल्स स्टेटमेंट होना प्रकट है, किंतु उक्त दस्तावेज के मूल बिल अथवा तत्संबंध में उपचार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं होने के कारण उनमें उल्लेखित राशि दिया जाना उचित नहीं हैं। दस्तावेज प्र.पी.–22 लगायत 24, प्र.पी.–26 लगायत 36, प्र.पी.–38, प्र.पी. –44 लगायत 46, प्र.पी.–48 (प्र.पी.–49 लगायत 57 आई.पी.डी. एडवांस की रसीदे है, जिनकी राशि का समायोजन प्र.पी.–48 के बिल में किया गया है) एवं प्र.पी.–76 में वर्णित राशि दिलाया जाना उचित है। इस प्रकार भुगतान योग्य दस्तावेजों के आधार पर आंकलित कुल राशि **4,47,690 / –रूपये** आवेदक को दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

48– आवेदक को गंभीर उपहति होने के कारण उसका उपचार हुआ है तथा उसका ऑपरेशन किया गया है। उक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा सहायक नियुक्त किया गया होगा, विशेष आहार लिया गया होगा तथा शारीरिक एवं मानसिक वेदना भी सहन करना पड़ी होगी। उक्त स्थिति में न्यायदृष्टांत **<u>रेखा जैन विरूद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए.आई.आर. 2013 एस.सी. 3429</u>** के प्रकाश में व्यक्तिगत चोटों के मामले में निम्नानुसार मदों में क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जाती है:–

49– अतः उक्त विवेचना के आधार पर आवेदक निम्नानुसार प्रतिकर पाने का पात्र है :–

02/03/26

(श्रीमती ... श्रीवास्तव)
...
ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

P.T.O.

<u>क्लेम प्रकरण क्रमांक–2796 / 2024 एवं 2797 / 24</u>

क	मद	राशि रूपये में
1.	उपहति एवं अस्थिभंग हेतु	1,36,000/– ~~1,37,000/–~~
2.	उपचार के दौरान आय अर्जन की हानि (**12,410** x 12 माह)	**1,48,920/–**
3.	विशेष आहार, सहायक	**1,00,000/–**
4.	शारीरिक कष्ट एवं मानसिक वेदना हेतु	**1,00,000/–**
6.	दवाईयों के बिल भुगतान की राशि	**4,47,690/–**
	कुल क्षतिपूर्ति राशि	9,32,610/– **~~9,33,610~~/–रूपये पूर्णांक में** 9,33,000/ **~~9,34,000~~/–रूपये (नौ लाख** तैंतीस **~~चौंतीस~~ हजार रूपये)**

आदेश दिनांक 06-05-26 के अनुसार संशोधन समाविष्ट
06/05/26
(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)
सदस्य
ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

आदेश दिनांक 06-05-26 के अनुसार संशोधन समाविष्ट
06/05/26
(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)
सदस्य
ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

50– समग्र वाद प्रश्नों के विश्लेषण से आवेदक द्वारा यह तथ्य प्रमाणित कराया गया है कि दुर्घटना दिनांक 10.05.2024 को अनावेदक क्र.–1 की उपेक्षा एवं लापरवाही से दुर्घटना कारित हुई एवं उक्त घटना के परिणामस्वरूप आहत मूरत सिंह को गंभीर उपहति कारित हुयी। घटना दिनांक को अनावेदक क्र.–1 प्रश्नगत वाहन क्रमांक एम.पी.

02/03/26
(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)
सदस्य
ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

P.T.O.

–40–जेडबी–5284 का चालक तथा पंजीकृत स्वामी था। दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन अनावेदक क.–2 दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, भोपाल के कार्यालय में बीमित था।

51– चूंकि दुर्घटना अनावेदक क.–1 की उपेक्षा एवं लापरवाही से घटित हुई है, इसलिए अनावेदक क.–1 अपनी उपेक्षा एवं लापरवाही के लिए एवं अपने प्रतिनिधिक दायित्व के लिये एवं अनावेदक क.–2 बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्यापूर्ति की संविदा के लिये आवेदक की प्रतिकर की क्षतिपूर्ति अदा करने हेतु उत्तरदायी है। प्रश्नगत् वाहन दुर्घटना दिनांक को बीमित था और बीमा कम्पनी द्वारा बीमा की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित नहीं किया गया है, इसलिए प्रत्यापूर्ति की संविदा के अंतर्गत आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि ~~**9,34,000**~~ 9,33,000/- **/–रूपये (नौ लाख ~~चौंतीस~~ तैंतीस हजार रूपये)** अदा करने का प्रथम दायित्व अनावेदक कमांक 02 बीमा कम्पनी का है। तदनुसार **क्षतिपूर्ति याचिका कमांक 2796/24 के वाद प्रश्न कमांक–6** का निराकरण किया जाता है।

आदेश दिनांक 06-05-26 के अनुसार संशोधन समाविष्ट 06/05/26

(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव) सदस्य ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण भोपाल (म.प्र.)

क्षतिपूर्ति याचिका कमांक 2797/24 के संबंध में

52– क्षतिपूर्ति राशि तय करते समय आवेदक की आय अर्जन क्षमता में कमी, इलाज में हुआ व्यय, शारीरिक पीड़ा व मानसिक वेदना, पोष्टिक

02/03/26
(श्रीमती ... श्रीवास्तव) ग्यारहवें मोटर ... भोपाल (म.प्र.)

P.T.O.

आहार हेतु व्यय आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखना है।

53— आवेदक भूपेन्द्र धाकड़ (आ.सा.–02) अपनी याचिका में दुर्घटना के पूर्व खेती किसानी का कार्य कर 7–8 लाख रूपये की आय वार्षिक होना बताया है, किंतु इस संबंध में अभिलेख पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतः आहत भूपेन्द्र धाकड़ को दुर्घटना में साधारण उपहति कारित होना प्रमाणित पाया जाता है। ऐसी स्थिति में आवेदक को साधारण उपहति के मद में **12,000/– रूपये (बाहर हजार रूपये)** दिलाया जाना उचित है।

54— आवेदक को आयी चोटों के कारण उसे परिचारक की आवश्यकता रही होगी तथा उसके द्वारा पौष्टिक आहार लिया गया होगा। चोटों के कारण आहत ने शारीरिक पीड़ा एवं मानसिक वेदना सहन की है। उक्त स्थिति में न्यायदृष्टांत **रेखा जैन विरूद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए.आई.आर. 2013 एस.सी. 3429** के प्रकाश में व्यक्तिगत चोटों के मामले में निम्नानुसार मदों में क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जाती हैः–

क्र	मद का प्रकार	राशि रूपये में
1.	साधारण उपहति हेतु	**12,000/–**

(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव) P.T.O.
सदस्य
ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

2.	परिचारक व्यय एवं पोष्टिक आहार हेतु	**10,000 / –रूपये**
3.	शारीरिक पीड़ा एवं मानसिक वेदना हेतु	**10,000 / – रूपये**
4	कुल भुगतान योग्य राशि	**32,000 / – रूपय (बत्तीस हजार रूपये)**

55– समग्र वाद प्रश्नों के विश्लेषण से आवेदक द्वारा यह तथ्य प्रमाणित कराया गया है कि दुर्घटना दिनांक 10.05.2024 को अनावेदक क. –1 की उपेक्षा एवं लापरवाही से दुर्घटना कारित हुई एवं उक्त घटना के परिणामस्वरूप आहत भूपेन्द्र धाकड़ को साधारण उपहति कारित हुयी। घटना दिनांक को अनावेदक क.–1 प्रश्नगत वाहन कमांक एम.पी. –40–जेडबी–5284 का चालक तथा पंजीकृत स्वामी था। दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन अनावेदक क.–2 दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, भोपाल के कार्यालय में बीमित था।

56– चूंकि दुर्घटना अनावेदक क.–1 की उपेक्षा एवं लापरवाही से घटित हुई है, इसलिए अनावेदक क.–1 अपनी उपेक्षा एवं लापरवाही के लिए एवं अपने प्रतिनिधिक दायित्व के लिये एवं अनावेदक क.–2 बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्यापूर्ति की संविदा के लिये आवेदक की प्रतिकर की

02/03/26

P.T.O.

क्षतिपूर्ति अदा करने हेतु उत्तरदायी है। प्रश्नगत् वाहन दुर्घटना दिनांक को बीमित था और बीमा कम्पनी द्वारा बीमा की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित नहीं किया गया है, इसलिए प्रत्यापूर्ति की संविदा के अंतर्गत आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि **32,000/– रूपय (बत्तीस हजार रूपये)** अदा करने का प्रथम दायित्व अनावेदक कमांक 02 बीमा कम्पनी का है। तदनुसार **क्षतिपूर्ति याचिका कमांक 2797/24 के वाद प्रश्न कमांक–6** का निराकरण किया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक 7 सहायक एवं वाद व्यय

आवेदक/आहत मूरत सिंह के संबंध में

आदेश दिनांक 06-05-2026 के अनुसार संशोधन अमान्दिष्ट

(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)
सदस्य

57– उपरोक्त आधार पर आवेदक द्वारा अपनी साक्ष्य से अपना मामला अंशतः प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः दावा आंशिक स्वीकार कर निम्नानुसार एवार्ड पारित किया जाता है :–

1. आवेदक को अनावेदक कमांक 1 एवं 2 कुल ~~**9,34,000**~~ 9,33,000 **/–रूपये (नौ लाख चौतीस [तैंतीस] हजार रूपये)** क्षतिपूर्ति राशि 60 दिवस के भीतर अदा करें।

2. आवेदक उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज साधारण ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी है।

02/03/26

(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)
सदस्य
ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

P.T.O.

आदेश दिनांक 06.05.26 के अनुसार संशोधन समाविष्ट (श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव) सदस्य ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण भोपाल (म.प्र.)

3. कुल क्षतिपूर्ति राशि ~~9,34,000~~ 9,33,000/- /–रूपये (नौ लाख ~~चौंतीस~~ तैंतीस हजार रूपये) आवेदक मूरत सिंह को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता के माध्यम से नकद चैक के माध्यम से प्रदान किये जाए।

4. यदि धारा 140 मोटरयान अधिनियम के तहत अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान आवेदक को किया गया हो, तो उसका समायोजन कुल क्षतिपूर्ति राशि में किया जाएगा।

5. उक्त क्लेम प्रकरण का व्यय अनावेदकगण स्वयं के साथ–साथ आवेदक का वाद व्यय भी वहन करेंगे।

6. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर रूपए 2000 (दो हजार रूपये) देय हो।

उपरोक्तानुसार व्यय तालिका तैयार हो।

आवेदक / आहत भूपेन्द्र सिंह के संबंध में

58– उपरोक्त आधार पर आवेदक द्वारा अपनी साक्ष्य से अपना मामला अंशतः प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः दावा आंशिक स्वीकार कर निम्नानुसार एवार्ड पारित किया जाता है :–

1. आवेदक को अनावेदक कमांक 1 एवं 2 कुल **32,000 /– रूपये (बत्तीस हजार रूपये)** क्षतिपूर्ति राशि 60 दिवस के भीतर अदा करें।

2. आवेदक उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक से

04/03/26
(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)
ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

P.T.O.

<u>क्लेम प्रकरण कमांक–2796 / 2024 एवं 2797 / 24</u>

अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज साधारण ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी है।

3. कुल क्षतिपूर्ति राशि **32,000/– रूपय (बत्तीस हजार रूपये)** आवेदक भूपेन्द्र को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता के माध्यम से नकद चैक के माध्यम से प्रदान किये जाए।

4. यदि धारा 140 मोटरयान अधिनियम के तहत अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान आवेदक को किया गया हो, तो उसका समायोजन कुल क्षतिपूर्ति राशि में किया जाएगा।

5. उक्त क्लेम प्रकरण का व्यय अनावेदकगण स्वयं के साथ–साथ आवेदक का वाद व्यय भी वहन करेंगे।

6. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर रूपए 2000 (दो हजार रूपये) देय हो।

उपरोक्तानुसार व्यय तालिका तैयार हो।

अधिनिर्णय टंकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

02/03/26

(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)
सदस्य,
ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा
अधिकरण,भोपाल (म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टंकित।

02/03/26

(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)
सदस्य
ग्यारहवें मोटर दुर्घटना दावा
अधिकरण, भोपाल (म.प्र.)

P.T.O.